(38)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर परिक्षेत्र रीवा (म0प्र0)

399
11.9.15

R. 5043-दो/15

1— राजभान सिंह तनय स्व0 जगदीश सिंह, उम्र 56 वर्ष, पेशा—कृषि कार्य, निवासी ग्राम—पोस्ट मध्येपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
——————निगरानीकर्ता

बनाम

1— बाबूलाल दुबे तनय नंदकिशोर दुबे, उम्र 72 वर्ष, पेशा—कृषि कार्य

2— योगेन्द्र दुबे पिता बाबूलाल दुबे, उम्र 32 वर्ष,

3— कृपाशंकर दुबे पिता बाबूलाल दुबे, उम्र 36 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम—पोस्ट मध्येपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
—————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी— विरुद्ध नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइयां, तहसील हुजूर के राजस्व प्रकरण क्र0—4अ 11/2011—12 पारित आदेश दिनांक 24/01/2013।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50, 32, सहपठित धारा 52 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधार बिन्दु अन्तर्गत प्रस्तुत है :—

1— यह कि मौजा मध्येपुर, पटवारी हल्का मध्येपुर, सर्किल बनकुइयां स्थित आ0नं0—586 रकवा 0.202 हे0, आ0नं0 593 रकवा 0.202 हे0 आराजी नं0 591/1 रकवा 0.132हे0/0.33डि0 आवेदक/निगरानीकर्ता की स्वार्जित भूमि है जिसमें निगरानीकर्ता बतौर भूमि स्वामी दर्ज राजस्व अभिलेख है।

2— **यह कि उक्त भूमि का विक्रय निष्पादन किये जाने पश्चात् स्वयं विक्रेता व गैरनिगरानीकर्ता क्र0 1 की उपस्थिति में मौंके से जाकर आ0नं0 586 रकवा 0.202 हे0 व 593 रकवा 0.202 हे0 591/1**

(38)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक R–5043–II/15 जिला–रीवा

राजभान सिंह/ बाबूलाल दुवे

(1)	(2)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री राजकुमार मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त बनकुइयां, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 4/अ–11/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 24.01.13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

आ0नं0 586 रकवा 0.202 हे0 व 593 रकवा 0.202 हे0 591/1